न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

छगनलाल पुत्र तारारामजी, जाति–नाई, निवासी–लखमावा छोटा, तह. शिवगंज, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) चम्पालाल पुत्र तारारामजी, जाति– नाई, निवासी– लखमावा छोटा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

(2) ग्राम पंचायत, रोवाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रोवाडा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 70/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 24 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, तंवरी द्वारा अप्रार्थी चंपालाल पुत्र तारारामजी, जाति– नाई, निवासी– लखमावा छोटा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बाद भी उपस्थित नही हुए तथा न ही अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी चंपालाल की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु सिंह राठौड उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी चंपालाल की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार समय दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही करने से अप्रार्थी चंपालाल का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 14.2.2023 को अप्रार्थी चंपालाल व अप्रार्थी चंपालाल के अधिवक्ता को तीन–तीन बार आवाजें लगवाने के बाद भी इस न्यायालय उपस्थित नही हुये। जिससे प्रकरण में अप्रार्थी चंपालाल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही लाई जाकर प्राार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(2) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम छोटा लखमावा, ग्राम पंचायत रोवाडा का प्रार्थी स्थाई निवासी है व परिवार सहित अपने बाप–दादाओं के समय से निवास करता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल के पिता स्वर्गीय तारारामजी पुत्र भेराजी, जाति– नाई, ने दिनांक 09.3.1965 को एक प्रार्थना पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत, रोवाडा का प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि वह ग्राम छोटा लखमावा में रहकर नाई का कामकाज करता है व रहने कोई भूमि नही होने से भूमि दिलवाई जावे। जिस पर ग्राम पंचायत रोवाडा में मिसल संधारण कर आम नीलामी दिनांक 27.4.1965 को कर [illegible] के पिता तारारामजी पुत्र भेराजी द्वारा उच्चतम बोली रुपये 21/– [illegible] तारारााराम जी के हक में बोली छोडी जाकर ग्राम पंचायत, [illegible] व चौडा 53 गुणा 32 फीट भूमि का पट्टा [illegible] तारारामजी के नाम से पट्टा

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जारी होने के बाद पट्टेशुदा भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के पिता अपने जीवनकाल में परिवार सहित निवास करते आ रहे थे। तारारामजी की वर्ष 1972 में मृत्यु हो गई थी और तत्पश्चात् प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या–1 व उसकी माता व भाई बहन इसी सम्पति में रहते आ रहे थे। प्रार्थी अपने रोजगार हेतु गुजरात में निवास करता था और प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 की माता इसी सम्पति पर निवास करते थे। स्वर्गीय तारारामजी के नाम से जारी पट्टा अप्रार्थी चंपालाल के पास है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल की माता का स्वर्गवास वर्ष 2012 में अहमदाबाद में प्रार्थी के साथ रहते हुए हो गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 के मध्य पट्टा ग्रस्त सम्पति का विभाजन कर व बंटवाड इकरारनामा दिनांक 12.8.2012 को रुबरु गवाहान निष्पादित कर पट्टाशुदा भूमि का आधा–आधा हक हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल के मध्य बंटवाडा किया एवं पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी ने एवं पूरब दिशा की ओर अप्रार्थी चंपालाल ने अपना अपना हक हिस्सा स्वीकार किया और तब से दोनों भाई अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। प्रार्थी उक्त बंटवाडा करवाने के बाद अपने व्यवसाय हेतु गुजरात चला गया था। बंटवाडा में प्रार्थी के हिस्से आये भाग पर पुराना मकान बना हुआ था जिसका दरवाजा प्रश्चिम दिशा में खुलता था परन्तु प्रार्थी द्वारा निरन्तर निवासरत नही रहने व मरम्मत नही करवाने से उक्त निर्माण जर्जर होकर गिर गया है और वर्तमान में मौके पर प्रार्थी का हिस्सा खाली व खुले भूखण्ड के रुप में पडा है। अब प्रार्थी ग्राम आया और देखा तो अप्रार्थी चंपालाल ने प्रार्थी के मालकी, स्वामित्व एवं कब्जे के भूखण्ड को जबरन हडपने की नियत से प्रार्थी की अनुपस्थिति में छुपके छुपके प्रार्थी के भूखण्ड पर नींवं खुदाई कर निर्माण कार्य करवाने पर आमदा है और नींवं भराई का कार्य करवा रहा है तब प्रार्थी ने उसके मालकी एवं कब्जे के भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से अप्रार्थी चंपालाल को मना किया तो अप्रार्थी चंपालाल व उसका परिवार प्रार्थी पर नाराज होकर आवेश में आकर गाली गलोच कर झगडा फिसाद करने पर आमदा हो गये व कहने लगे की हमारा भूखण्ड है तथा पूरे भूखण्ड का ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा पट्टा बनाकर दिया है तब प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अपने पिता तारारामजी के नाम जारी पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी चंपालाल ने ग्राम पंचायत, रोवाडा से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को जारी करवा लिया है। ग्राम पंचायत को कानूनन पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है तथा ग्राम पंचायत, रोवाडा ने मौके की जांच किये बिना ही मौके की भौतिक स्थिति के विपरीत सम्पूर्ण भाग पर भवन निर्मित नही होते हुए प्रार्थी के पुश्तैनी पट्टेशुदा भूमि जो बंटवाड में प्रार्थी के हिस्से आई है उस भूमि का अप्रार्थी चंपालाल के नाम से नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर प्रश्नगत पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोयली द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी चंपालाल पुत्र तारारामजी, जाति– नाई, निवासी– लखमावा छोटा को क्षेत्रफल उत्तर–दक्षिण 57 फीट व पूर्व–पश्चिम 32 फीट कुल 1824 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "ग्राम पंचायत, रोवाडा ने प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल के पिता तारारामजी को आम नीलामी में उच्चतम बोली पर लंबाई व चौडाई 52 गुणा 32 फीट भूमि का पट्टा जारी किया गया था, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल के पिता तारारामजी ने परिवार सहित निवास किया व तत्पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] की माता व भाई बहन इस सम्पति में रहते आ रहे थे। प्रार्थी अपने रोजगार हेतु अहमदाबाद में रहता है एवं प्रार्थी व अप्रार्थी चंपालाल की माता का स्वर्गवास वर्ष 2012 में हो गया था। प्रार्थी व अप्रार्थी

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चंपालाल के मध्य पट्टाशुदा सम्पति का विभाजन कर बंटवाड इकरारनामा दिनांक 12.8.2012 को गवाहान के समक्ष निष्पादित कर पट्टेशुदा सम्पति का आधा हिस्सा प्रार्थी व आधा हक हिस्से में आया। पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी ने एवं पूरब दिशा की ओर अप्रार्थी अप्रार्थी चंपालाल ने अपना अपना हक हिस्सा स्वीकार तब से दोनों भाई अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है, लेकिन अप्रार्थी चंपालाल ने प्रार्थी के हिस्से भूखण्ड को हडपने की नियत से प्रार्थी की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत, रोवाडा से मेलमिलाप कर प्रार्थी के पिता के पट्टेशुदा भूमि पर पट्टा जारी करवा लिया।''

प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, रोवाडा की मिसल संख्या 10 दिनांक 09.3.1965 फैसल दिनांक 11.7.1965 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, रोवाडा से आम नीलामी में ताराराम जी पुत्र भेराराम, जाति– नाई, निवासी– छोटा लखमावा ने उच्चतम बोली राशि रुपये 21/– (रुपये इक्कीस मात्र) लगाकर उत्तर–दक्षिण 32 व पूर्व–पश्चिम 53 फीट भूखण्ड क्रय किया गया था। जिसका प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी तारारामजी के नाम से पट्टा जारी किया गया था, जो अप्रार्थी चंपालाल के पास होना बताया है। हालांकि प्रार्थी ने पट्टे की प्रति या छाया प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की। प्रार्थी पक्ष द्वारा बंटवाड इकरारनामा दिनांक 12.8.2012 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य 53 गुणा 33 फीट भूखण्ड का आपस में बंटवाडा किया गया था जिसमें आधा हिस्सा प्रार्थी व आधा हिस्सा अप्रार्थी चंपालाल के हक में आया। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी चंपालाल द्वारा ग्राम पंचायत, रोवाडा में पट्टा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुश्तैनी मकान होना बताते हुए पट्टा दिलवाने का अनुरोध किया। प्रकरण में अप्रार्थी चंपालाल के आवेदन पर ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा अप्रार्थी चंपालाल के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को जारी किया, जो ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा रेकर्ड व मौके की सही रुप से जांच किये बिना ही जारी किया है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत, रोवाडा को पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रोवाडा द्वारा अप्रार्थी चंपालाल पुत्र तारारामजी, जाति– नाई, निवासी– लखमावा छोटा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 18 दिनांक 15.5.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, रोवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड के मौके व रेकर्ड की जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:54 IST
Reason: SelfAttested